भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या 251
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

**नावों और मछली मारने वाली नावों का प्रतिस्थापन**

**251. कु. सुधा आर :**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत उन नावों और मछली मारने वाली नावों को प्रतिस्थापित किया जाता है जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाती हैं और यदि हाँ, तो प्रतिस्थापित की गई नावों और मछली मारने वाली नावों की संख्या कितनी है;

(ख) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मइलादुथुरई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में बनाए गए मत्स्य खुदरा बाजारों और मत्स्य कियोस्क की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2020 से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध / मंदी की अवधि के दौरान आजीविका और पोषण सहायता प्राप्त करने वाले मछुआरों के परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सृजित मछली चारा मिलों/संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत मछुआरों को राज्यवार कितनी प्रति स्थापन नावें प्रदान की गई हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**
**(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2020-21 से तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से एक प्रमुख योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)" को कार्यान्वित कर रहा है। PMMSY के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और पारंपरिक मछुआरों के लिए नावों (रिप्लेसमेंट) और जालों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने 17.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित कुल 60 करोड़ रुपए की लागत से 50 डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और 25 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर पारंपरिक मछुआरों को 500 नाव (रिप्लेसमेंट) और जाल प्रदान करने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। PMMSY के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है और PMMSY के अंतर्गत उन मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध नहीं है जिनकी नाव को श्रीलंका के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है।

तमिलनाडु सरकार को पूर्व में भी सलाह दी गई है कि वह उन मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे जिनकी नाव श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के राज्य में 3 करोड़ रुपए की लागत से तीन रिटेल फिश मारकेट के निर्माण और 5.50 करोड़ रुपए की लागत से 55 फिश कियोस्क की स्थापना के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 2020-21 के दौरान 13 इकाइयों सहित कुल 34 कियोस्क और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 21 कियोस्क स्थापित किए गए हैं और मयिलादुथुराई निर्वाचन क्षेत्र में कोई फिश कियोस्क स्थापित नहीं किया गया है।

(ग): PMMSY के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है, जिसे प्रतिवर्ष लागू किया जाता है। यह गतिविधि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है और सरकारी सहायता सामान्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात में जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में साझा की जाती है। विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 492.39 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित कुल 1388.36 करोड़ रुपए की लागत पर 29,89,567 (औसतन 5.95 लाख वार्षिक) मछुआरों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इस गतिविधि के तहत कवर किए गए मछुआरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ फिश फीड़ मिल/प्लांट की स्थापना और पारंपरिक मछुआरों को नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान 802.46 करोड़ रुपए की कुल लागत से कुल 1114 फिश फीड मिल /प्लांट की स्थापना और 255.91 करोड़ रुपए की लागत से पारंपरिक मछुआरों को कुल 6818 नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। विगत 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत फिश मिलों/प्लांटों और पारंपरिक मछुआरों को नाव उपलब्ध कराने का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

*****

**अनुबंध- I**

**नावों और मछली मारने वाली नावों के प्रतिस्थापन के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए माननीय सांसद सुश्री कु. सुधा आर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण**

**(रुपए लाख में)**

| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (सं)** | **वार्षिक रूप से कवर किए गए औसत लाभार्थी (सं)** | **परियोजना लागत** | **भारत सरकार का अंश** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(i)** | **(ii)** | **(iii)** | **(iv)** | **(v)** | **(vi)** |
| **1** | अंडमान और निकोबार | 1000 | 200 | 45.00 | 30.00 |
| **2** | आंध्र प्रदेश | 442720 | 88544 | 19922.40 | 6640.80 |
| **3** | असम | 104000 | 20800 | 4680.00 | 2496.00 |
| **4** | बिहार | 50000 | 10000 | 2250.00 | 750.00 |
| **5** | छत्तीसगढ | 46000 | 9200 | 2070.00 | 690.00 |
| **6** | गुजरात | 30000 | 6000 | 1350.00 | 450.00 |
| **7** | हिमाचल प्रदेश | 17265 | 3453 | 776.95 | 414.37 |
| **8** | जम्मू और कश्मीर | 81968 | 16394 | 3688.56 | 2459.06 |
| **9** | कर्नाटक | 116378 | 23276 | 5237.02 | 1745.68 |
| **10** | केरल | 855165 | 171033 | 36466.17 | 12459.37 |
| **11** | लक्षद्वीप | 2500 | 500 | 112.50 | 75.00 |
| **12** | मध्य प्रदेश | 59645 | 11929 | 2684.04 | 894.69 |
| **13** | महाराष्ट्र | 4000 | 800 | 180.00 | 60.00 |
| **14** | मिजोरम | 18870 | 3774 | 849.15 | 452.88 |
| **15** | ओडिशा | 56000 | 9000 | 2520.00 | 839.97 |
| **16** | पुदुचेरी | 134334 | 26867 | 6045.04 | 4030.02 |
| **17** | राजस्थान | 6103 | 461 | 274.64 | 91.55 |
| **18** | सिक्किम | 695 | 139 | 31.28 | 16.68 |
| **19** | तमिलनाडु | 935112 | 187022 | 48345.05 | 14026.69 |
| **20** | तेलंगाना | 8000 | 2000 | 450.00 | 150.00 |
| **21** | त्रिपुरा | 18612 | 2907 | 803.97 | 446.69 |
| **22** | उत्तर प्रदेश | 1000 | 200 | 45.00 | 15.00 |
| **23** | उत्तराखंड | 200 | 40 | 9.00 | 4.80 |
| **कुल** | | **2989567** | **594539** | **138835.77** | **49239.25** |

*****

**अनुबंध- II**

**नावों और मछली मारने वाली नावों के प्रतिस्थापन के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए के लिए माननीय सांसद सुश्री सुधा आर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत फिश फीड़ मिलों/प्लांटों का राज्यवार विवरण**

**(रुपए लाख में )**

| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **फ़ीड मिलों/प्लांटों की इकाई (संख्या)** | **कुल परियोजना लागत** | **भारत सरकार का अंश** |
|---|---|---|---|---|
| **(i)** | **(ii)** | **(iii)** | **(iv)** | **(v)** |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 4 | 120.00 | 54.00 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 5 | 1450.00 | 450.00 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 120.00 | 64.80 |
| 4. | असम | 112 | 6220.00 | 2872.80 |
| 5. | बिहार | 147 | 9620.00 | 2851.20 |
| 6. | छत्तीसगढ | 14 | 1711.36 | 530.89 |
| 7. | गोवा | 1 | 30.00 | 7.20 |
| 8. | गुजरात | 1 | 30.00 | 7.20 |
| 9. | हरियाणा | 28 | 1840.00 | 556.80 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 25 | 920.00 | 433.80 |
| 11. | झारखंड | 20 | 600.00 | 240.00 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 45 | 2196.60 | 673.18 |
| 13. | कर्नाटक | 5 | 150.00 | 50.40 |
| 14. | केरल | 5 | 150.00 | 36.00 |
| 15. | लद्दाख | 2 | 72.00 | 43.20 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 83 | 3940.00 | 1327.20 |
| 17. | महाराष्ट्र | 101 | 5010.00 | 1749.60 |
| 18. | मणिपुर | 6 | 180.00 | 81.00 |
| 19. | मेघालय | 5 | 150.00 | 81.00 |
| 20. | मिजोरम | 2 | 60.00 | 32.40 |
| 21. | नगालैंड | 2 | 60.00 | 32.40 |
| 22. | ओडिशा | 21 | 4000.00 | 1161.00 |
| 23. | पुदुचेरी | 2 | 60.00 | 30.00 |
| 24. | पंजाब | 19 | 570.00 | 169.20 |
| 25. | राजस्थान | 2 | 400.00 | 144.00 |
| 26. | सिक्किम | 2 | 60.00 | 32.40 |
| 27. | तमिलनाडु | 6 | 420.00 | 120.00 |
| 28. | तेलंगाना | 4 | 120.00 | 36.00 |
| 29. | त्रिपुरा | 14 | 420.00 | 205.20 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 235 | 27560.80 | 8322.83 |
| 31. | उत्तराखंड | 7 | 280.00 | 127.80 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 185 | 11725.00 | 3854.40 |
| **कुल** | | **1114** | **80245.76** | **26377.9 0** |

*****

**अनुबंध- III**

**नावों और मछली मारने वाली नावों के प्रतिस्थापन के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय सांसद सुश्री सुधा आर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान पारंपरिक मछुआरों के लिए स्वीकृत नाव (प्रतिस्थापन) और जाल का राज्यवार विवरण**

**(रुपए लाख में )**

| **क्रम सं** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **स्वीकृत नाव (सं)** | **परियोजना लागत** | **भारत सरकार का अंश** |
|---|---|---|---|---|
| **(i)** | **(ii)** | **(iii)** | **(iv)** | **(v)** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2191 | 10955.00 | 2659.20 |
| 2 | असम | 176 | 382.05 | 182.83 |
| 3 | छत्तीसगढ | 40 | 123.40 | 29.62 |
| 4 | गोवा | 76 | 380.00 | 103.20 |
| 5 | गुजरात | 310 | 1550.00 | 438.00 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 1250 | 1375.00 | 627.30 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 25 | 125.00 | 50.00 |
| 8 | झारखंड | 62 | 125.50 | 39.65 |
| 9 | कर्नाटक | 390 | 1790.00 | 542.88 |
| 10 | केरल | 200 | 1000.00 | 240.00 |
| 11 | लक्षद्वीप | 100 | 500.00 | 300.00 |
| 12 | महाराष्ट्र | 107 | 535.00 | 169.80 |
| 13 | मणिपुर | 10 | 11.70 | 5.27 |
| 14 | नगालैंड | 5 | 5.85 | 3.16 |
| 15 | ओडिशा | 560 | 1728.00 | 523.44 |
| 16 | पुदुचेरी | 215 | 1075.00 | 475.00 |
| 17 | तमिलनाडु | 500 | 2500.00 | 630.00 |
| 18 | त्रिपुरा | 342 | 395.40 | 203.29 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 259 | 1034.00 | 355.68 |
| **कुल** | | **6818** | **25590.9 0** | **7578.32** |

*****